रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-782/2017/2387/22-2-2017-17(287)/2016

लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी नत्थू (बन्दी संख्या-44692) पुत्र श्री भोलानाथ, निवासी-दौलतपुर हीरा, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-194/1982** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-147, 148, 302, 323, 324, 149** के अधीन **दिनांक 28.02.1983** को **मा0 सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत** द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील सं0-1377/1983 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 16.05.2008 द्वारा धारा-147, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-782/2017/2387(1)/22-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
3- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in